

दिनांक-02.05.2020 को श्री गणेश कुमार (भा०प्र०स०), उपायुक्त, जामताड़ा की अध्यक्षता में COVID-19 महामारी में मजदूरों को रोजगार देने हेतु मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सभी प्रखंडों के साथ सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी में दर्ज है।

मनरेगा :-

सर्वप्रथम उपायुक्त जामताड़ा द्वारा COVID-19 महामारी में मनरेगा मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने एवं सभी प्रवासी मजदूरों को भी अवलिंब जॉब कार्ड निर्गत करके मनरेगा योजनाओं में कार्य उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा द्वारा बताया गया कि मोबाइल के माध्यम से प्रायः सूचना प्राप्त होती है कि Secure Software के माध्यम से मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति के क्रम में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा अपने लॉगिन पर अनावश्यक विलंब किया जाता है। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को निदेशित किया गया कि अनावश्यक विलंब किये मनरेगा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मनरेगा योजना अन्तर्गत Ongoing TCB योजना के बारे में पूछा गया। इस संबंध में किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस क्रम में सभी प्रखंडों को TCB का लक्ष्य निर्धारित किया गया जो निम्नवत् है :- नाला प्रखंड-256 एकड़, जामताड़ा प्रखंड-121 एकड़, करमाटोड़ प्रखंड-146 एकड़, नारायणपुर- 245 एकड़ एवं कुण्डहित-154 एकड़ साथ ही नाली गहरीकरण हेतु प्रत्येक प्रखंड को 50-50 योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही सभी प्रवासी मजदूरों का अविलंब जॉब कार्ड पंजी में संधारित करते हुए जॉब कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक स्थल पर चापानल के पास Sock Pit निर्माण करने का विभागीय निदेश प्राप्त है जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जामताड़ा के द्वारा अधिष्ठापित चापानल की सूची संबंधित विभाग से प्राप्त कर उपयुक्त स्थल पर Sock Pit निर्माण करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को दिया गया।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा के द्वारा बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत उपयुक्त स्थल पर वृक्षारोपण करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेशक, डी०आर०डी०ए०, जामताड़ा के द्वारा बताया गया कि सक्रिय मजदूर के विरुद्ध कार्यरत मजदूरों की संख्या बहुत ही कम है जो खेदजनक है। सभी प्रखंड प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को अपने स्तर से समीक्षा करते हुए मजदूरों की संख्या में अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी मुखिया, सभी मनरेगा कर्मी एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि के साथ समीक्षा बैठक करने का निदेश दिया गया। साथ ही दिनांक- 10.05.2020 तक किसी भी परिस्थिति में जल समृद्धि योजना एवं हरित ग्राम योजना के तहत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई एवं दिनांक- 20.05.2020 तक बागवानी योजनाओं में गढ़ा खुदाई एवं घेराबंदी का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड मुख्यालय में आवासन करने एवं मनरेगा कार्यों में अभिसूचि लेंगे एवं जिन प्रखंडों में स्वीकृत योजना पर्याप्त मात्रा में नहीं पाये जाने पर संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा श्री विद्युत मुर्मु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, करमाटॉड़ एवं नारायणपुर को अपने कार्य शैली में सुधार करने हेतु चेतावनी दिया गया।

Action For Social Advancement (ASA), Jamtara के प्रतिनिधि श्रीमती रूमा चटर्जी को प्रखंड जामताड़ा, कुण्डहित, एवं फतेहपुर में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मनरेगा कार्य में सहयोग प्रदान का निदेश दिया गया। डी०पी०एम०, जे०एस०एल०पी०एस०, जामताड़ा को स्वयं सहायता समूहों के द्वारा मनरेगा कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान का निदेश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा श्री अरविन्द कुमार, प्रतिनिधि बदलाव फाउण्डेशन, मिहिजाम, जामताड़ा को जामताड़ा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा के साथ समन्वय स्थापित कर मनरेगा कार्य में सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।

मो० मोतिउर रहमान, परियोजना पदाधिकारी के द्वारा हरित ग्राम योजना एवं जलसमृद्धि योजना की जानकारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण:-

समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आवास निर्माण में तेजी लाने एवं सभी लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योग्य लाभुकों का शत् प्रतिशत पंजीकरण करते हुए आयोग्य लाभुकों का रिमाण्ड हेतु सूची डी०आर०डी०ए० जामताड़ा कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर दिये गये निदेश के अनुपालन से संबंधित पुनः समीक्षा बैठक दिनांक-13.05.2020 को किया जायेगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

04/05/2020
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक- 303...../अभि०, दिनांक- 04.05.2020

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित स्वयं सेवी संस्था को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जामताड़ा जिला/ DPM JSPLS, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/05/2020
उपायुक्त,
जामताड़ा।